रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग—I खण्ड—1
PART—I Section—1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

सं० 112] नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 1979/ज्येष्ठ 9, 1901
No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 1979/JYAISTHA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 30 मई, 1979

विषय उत्पादन की तकनीकों पर केन्द्रीय कर-विधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से सुधार की सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति ।

[एफ. सं. ए. 12026/6/79-प्र. 1(सेन)].—उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 28 फरवरी, 1979 को लोक सभा में सरकार का यह इरादा घोषित किया था कि उद्योग में प्रयुक्त उत्पादन की तकनीकों पर कर-रियायतों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए और उत्पादन के श्रम-प्रधान तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए अर्थशास्त्रियों तथा कर-प्रशासकों की एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जाएगी । सरकार ने अब इस प्रयोजन के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है जिसका गठन इस प्रकार होगा :—

अध्यक्ष :

प्रो. वी. एम. दाण्डेकर
निदेशक,
गोखले राजनीति एवं अर्थशास्त्र संस्थान
पूणे ।

सदस्य :

(1) डा. ए. वैद्यनाथन्
आर. बी. आई. फैलो
सेंटर फार डवलपमेंट स्टडीज
त्रिवेन्द्रम ।

(2) डा आनन्द पी. गुप्ता
प्रोफेसर, अर्थशास्त्र,
भारतीय प्रबन्ध संस्थान,
अहमदाबाद ।

(3) श्री एल. सी जैन,
अध्यक्ष,
अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

(4) श्री के. नरसिम्हन,
विशेष सचिव, राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय

2. राजस्व विभाग के प्रत्यक्ष कर स्कन्ध के एक वरिष्ठ अधिकारी को भी इस समिति में मनोनीत किया जाएगा ।

3. वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के राजकोषीय नीति अनुभाग के वर्तमान निदेशक डा. ए. बागची को सदस्य-सचिव नियुक्त किया जाएगा ।

4. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) केन्द्रीय कर सम्बन्धी कानूनों के उन सभी उपबन्धों को स्पष्ट रूप से बताना जो कि अर्थव्यवस्था में श्रम-नियोजन पर प्रभाव डालते हैं ;

(2) रोजगार पर और उद्योग, कृषि तथा आर्थिक कार्यकलाप के अन्य क्षेत्रों में उत्पादन की तकनीकों पर पड़ने वाले, इन उपबन्धों के प्रभाव की जांच करना ;

(3) केन्द्रीय कर सम्बन्धी कानूनों में समुचित परिवर्तनों का सुझाव देना जिससे कि प्रशासनिक व्यवहार्यता तथा लोक नीति के अन्य उद्देश्यों, जैसे कि आर्थिक संवृद्धि और आत्मनिर्भता आदि का उचित ध्यान रखते हुए रोजगार पैदा करने तथा उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों को अपनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जा सके ; और

(4) अन्य किसी भी सम्बद्ध मामले के बारे में सिफारिश करना ।

5. समिति स्वयं अपनी कार्यविधियां तैयार करेगी । राजस्व विभाग समिति के लिए सचिवालय की व्यवस्था करेगा ।

6. समिति 30 सितम्बर, 1979 तक भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी सम्बद्ध व्यक्तियों आदि को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की सूचना के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एन. के. पांडा, संयुक्त सचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th May, 1979

Subject : Appointment of an Expert Committee to study the impact of Central tax laws on techniques of production and make recommendations for reform to enlarge employment opportunities.

F. No. A-12026/26/79-Ad. I(Cen).—The Deputy Prime Minister and Finance Minister in his Budget speech in the Lok Sabha on 28th February, 1979 had announced the Government's intention to appoint an expert committee of economists and tax administrators to study the impact of tax concessions on the techniques of production used in industry and make recommendations for reform in order to encourage the adoption of labour intensive methods and enlarge opportunities for employment. The Government have now decided to appoint an expert committee for this purpose which will consist of :

Chairman :

Prof. V. M. Dandekar,
Director,
Gokhale Institute of Politics & Economics,
Pune.

Members :

1. Dr. A. Vaidyanathan,
RBI Fellow,
Centre for Development Studies,
Trivandrum.

2. Dr. Anand P. Gupta,
Professor of Economics,
Indian Institute of Management,
Ahmedabad.

3. Shri L. C. Jain,
Chairman,
All India Handicrafts Board.

4. Shri K. Narsimhan,
Special Secretary,
Department of Revenue,
Ministry of Finance.

2. A senior officer of the Department of Revenue from the direct taxes side will also be nominated to the Committee.

3. Dr. A. Bagchi, at present Director in the Fiscal Policy Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance will be the Member-Secretary.

4. The Committee will have the following terms of reference :

(i) To identify provisions in Central tax laws which have an influence on the employment of labour in the economy ;

(ii) to examine the impact of these provisions on employment and the techniques of production in industry, agriculture and other areas of economic activity ;

(iii) to suggest appropriate changes in Central tax laws so as to promote employment and adoption of labour-intensive methods of production having due regard to administrative feasibility and other objectives of public policy such as economic growth and self-reliance ; and

(iv) to make recommendations regarding any other related matter.

5. The Committee will evolve its own procedures for its work. The Department of Revenue will provide the Secretariat to the Committee.

6. The Committee will make its recommendations to the Government of India by 30th September, 1979.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette for general information.

N. K. PANDA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979